

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-10/2023-3456

व०प०, राँची, दिनांक-29/8/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक,
राँची-834002.

विषय :- मेसर्स DVC द्वारा CCL Karo Konar 33 K.V. DC Transmission Line for 16 MVA Power Supply Arrangement परियोजना हेतु कुल-4.9969 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-103 दिनांक-03.02.2023 एवं पत्रांक-677 दिनांक-26.07.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

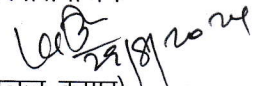
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 4.9969 हे० वनभूमि के NPV की राशि जमा की जाएगी।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध मौजा-कंजिकिरो में चिन्हित 10 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (iv) विषयक अपयोजन से होने वाली क्षति एवं वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।
- (v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

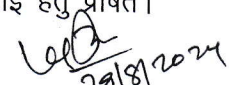

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-10/2023-3456

व०प०, राँची, दिनांक-29/8/24

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-10/2023-3456

व०प०, राँची, दिनांक-29/8/24

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/अधीक्षण अभियंता (वि०), TSC-III, DVC, पंचेत, धनबाद, झारखण्ड-828206 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

PART – V

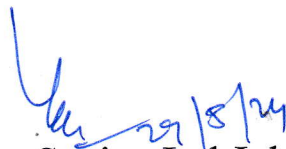
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 4.9969 ha of Forest Land for construction of 33 KV D/C Transmission line for 16 MVA Power supply arrangement to M/S CCL Karo Konar OCW under Bokaro Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 4.9969 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-3456 dated-29/8/24.


Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Special Secretary

Forest Environment And

Climate Change Department

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi